न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,डीग

मु0 नम्बरः- 45/2025(जी.सी.एम.एस. 2014/00103) पीठासीन अधिकारीः-श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

केहरी पुत्र मनोहर जाति जाट निवासी ग्राम बरावली तहसील व जिला डीग(राज0)

-वादी

बनाम

तहसीलदार तहसील डीग प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

-प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 17.04.2025

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 61/636/0.37 वाके ग्राम बरावली तहसील डीग में स्थित है। नवीन विवादित खसरा नम्बर 61/636/0.37 वाके ग्राम बरावली तहसील डीग को हाल बन्दोवस्त में गत खसरा नम्बर 10 मिन रकबा 2 वीघा 4 विस्वा के बदले में बनाया गया है। उक्त गत खसरा नम्बर 10 मिन रकबा 2 वीघा 4 विस्वा पूर्व में मुस0 तुरसी पुत्री कन्हैया कॉम फौजदार की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। उक्त मुत0 तुरसी पुत्री कन्हैया द्वारा वादी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.07.1976 को मुवलिग 3500 रू0 में अपनी जायज जरूरत के उक्त खातेदारी की आराजी को विक्रय कर दिया और वादी के पक्ष में बयनामा पंजीबद्व करा दिया जिसके बाद से उक्त विवादित आराजी पर वादी वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है और वर्तमान में भी वादी का ही कब्जा काश्त है। गत खसरा नम्बर 10मिन रकबा 2 वीघा 4 विस्वा की विक्रेता मुत0 तुरसी पुत्री कन्हैया के पक्ष में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा डिक्री पारित की गई थी जिसके फलस्वरूप उक्त मुस0 तुरसी पुत्री कन्हैया मुताविक डिक्री तत्कालीन राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज कर दी गई,लेकिन बन्दोवस्त के ऑपरेशन शुरू हो जाने के कारण गलत तरीके पर विवादित आराजी को बन्दोवस्त विभाग द्वारा चारागाह दर्ज कर दिया जबकि विवादित आराजी कभी भी चारागाह की भूमि नहीं रही है ना ही मौके पर चारागाह है बल्कि विवादित आराजी शुरू से ही काबिज काश्त भूमि रही है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 61/636/0.37 वाके ग्राम बरावली तहसील डीग का खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (जेग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 31.01.2023 को जबाव सरकार पेश हुआ जोकि शामिल पत्रावली किया गया।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर दिनांक 02.01.2024 को निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गई:-

1. आया वादी खसरा नम्बर 61/636/0.37, हैक्टे0 वाके ग्राम बरावली तहसील डीग के अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है?
2. आया वादी जरिये डिक्री प्रति0 को स्थाई निशेधाज्ञा से पावंद करा पाने का अधिकारी है?
3. दादरसी?

साक्ष्य वादी में वादी केहरी सिंह की ओर से दिनांक 15.05.2024 को शपथ पेश किया गया तथा दिनांक 06.06.2024 को वादी केहरी सिंह के बयान पंजीबद्व किये गये।

तहसीलदार डीग से दिनांक 08.04.2025 को रिकार्ड एवं मौके कब्जे के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। ग्राम बरावली के आराजी खसरा नम्बर 636/61/0.37 वर्तमान राजस्व रिकार्ड 2075-78 के खाता संख्या 202 में गै.मु. चारागाह दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर वर्तमान में खाली पडा हुआ है।

पैरोकार सरकार ने दिनांक 17.04.2025 को लिखित बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 61/636 का पुराना खसरा नम्बर 10 मिन, 5मिन से बनना दर्शाया गया है। जबकि मिलान क्षेत्रफल में कोई रकबा साविक का नहीं दर्शाया गया है। खसरा गिरदावरी संख्या 2031 लगायत 2034 में साविक खसरा नम्बर 10 रकबा 2 वीघा 4 विस्वा किस्म चारागाह दर्ज है। खसरा नकल में नामा0 में किस्म हुक्मन लिखी गई है तथा इस प्रकार चारागाह भूमि पर खातेदार अधिकार दिया जाना उचित नहीं है। उनवान से सम्बन्धित भूमि की किस्म चारागाह है जो आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। दावा खारिज किया जावे। वकील वादी ने मुताविक वादपत्र दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादी के वादपत्र,पैरोकार सरकार के जबाव,गवाह पीडब्ल्यू-1 केहरी सिंह प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्बत 2067-2070 हाल खसरा नम्बर 61/636 रकबा 0.37 ग्राम बरावली चारागाह दर्ज है। प्रदर्श-2, प्रदर्श-3 भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 61/636 रकबा 0.37 साविक खसरा नम्बर 10मिन,5मिन से बना है।

प्रदर्श-4 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.07.76 आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 2 वीघा 4 विस्वा किस्म कदीम बारानी वाके ग्राम बरावली को मुस्माति तुरसी पुत्री कन्हैया जाति फौजदार साकिन मौजा बरावली के द्वारा केहरी सिंह वल्द मनोहरलाल जाति फौजदार को विक्रय किया गया है।

प्रदर्श-5, खसरा गिरदावरी सम्बत 2031 से 2034 पर नोट अंकित है। खसरा नम्बर 3 रकबा 5 वीघा, 4 रकबा 5 वीघा, 8 रकबा 1 वीघा 7 विस्वा, 13 रकबा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 10 रकबा 2 वीघा 4 विस्वा, नामा0 संख्या 179 दिनांक 23.11.69 स्वीकार हुआ है।

प्रदर्श-6, खसरा गिरदावरी सम्बत 2031 से 2034 साविक खसरा नम्बर 2 वीघा 4 विस्वा किस्म कदीम,चारागाह देह इ0नम्बर 179 दिनांक 23.11.69 से तुरसी,कन्हैया,गौरा,शेरा कॉम फौजदार सा0देह खातेदार स्वीकार हुआ है।

प्रदर्श-7, प्रमाणित प्रति अक्स सजरा किश्तवार मौजा बरावली सन 1926,

प्रदर्श-8, प्रमाणित प्रति नक्शा किश्तवार सम्बत 2032-33 ग्राम बरावली,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः-

तनकी संख्याः-1, आया वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 61/636/0.37 स्थित ग्राम बरावली तहसील डीग में अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्बत 2067-2070 हाल खसरा नम्बर 61/636 रकबा 0.37 ग्राम बरावली चारागाह दर्ज है।

प्रदर्श-2 व प्रदर्श-3 भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 61/636 रकबा 0.37 साविक खसरा नम्बर 10मिन,15मिन से बना है। प्रदर्श-5 खसरा गिरदावरी सम्बत 2031-2034 पर नामा0 संख्या 179 का नोट अंकित है। प्रदर्श-4 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.07.76 में साविक ख्सरा नम्बर 10रकबा 2 वीघा 4 विस्वा मुस्मातित तुरसी पुत्री कन्हैया जाति फौजदार साकिन मौजा बरावली के द्वारा केहरी सिंह वल्द श्री मनोहरलाल जाति फौजदार को विक्रय किया गया है। तहसीलदार डीग की रिपोर्ट के मुताविक सावित खसरा नम्बर 10 रकबा 2 वीघा 4 विस्वा किस्म चारागाह थी तथा हाल खसरा नम्बर 636/61 रकबा 0.37 की किस्म गै.मु.चारागाह दर्ज रिकार्ड है। जोकि सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है। आर.टी.एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। जिस पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। वादी वादपत्र खारिज किया जावे। तनकी संख्या संख्या 1 विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः-2, आया वादी जरिये डिक्री प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने का अधिकारी है?
तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। तनकी संख्या 2 भी विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः-3,दादरसी?

उभय पक्षकार अपना अपना खर्च स्वयं वहन करें।

तनकी संख्या 1,2,3 विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। दावा वादी बावत स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 61/636/0.37 एवं साविक खसरा नम्बर 10 रकबा 2 वीघा 4विस्वा किस्म चारागाह,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने एवं आवंटन,नियमन के लिए उपलब्ध नहीं होने से खातेदारी दिया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में हम उपर्युक्त विवरण अनुसार दावा वादी रिकार्ड से सावित नहीं होने पर खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः-

वादी का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner